फर्द अहकाम

(नियम 26)

न्यायालय जिला कलक्टर, सिरोही

प्रार्थी / अपीलांट	बनाम	अप्रार्थी / रेस्पोडेन्ट
श्री संजय जुत्शी पुत्र स्व. श्री बी.एन. जुत्शी जाति जुत्शी निवासी इरूपिदम अचलगढ रोड ओरिया आबूपर्वत तहसील आबूरोड जिला सिरोही।		सरकार जरिये लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी आबूपर्वत

किस्म मुकदमा– **अपील अन्तर्गत धारा 19 आर.टी.आई. एक्ट 2005**

मुकदमा नं. 66 वर्ष 2021

दिनांक हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए
09.11.2021	अपीलांट ने यह प्रथम अपील रेस्पोडेन्ट के विरूद्ध सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6 के तहत उनके द्वारा मांगी गई सूचना उपलब्ध नही कराने से धारा 19 के तहत प्रस्तुत की गई । अपीलांट की अपील दर्ज रजिस्टर की जावे । अपीलांट द्वारा अपनी अपील में निवेदन किया गया हैं कि उसके द्वारा लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी आबूपर्वत को दिनॉक 13.07.2021 को एक प्रार्थना पत्र देकर निवेदन किया कि दिनांक 24.06.2020 एवं दिनांक 05.07.2021 को श्री हरिसिंह पुत्र श्री भगवानसिंह निवासी ओरिया आबूपर्वत द्वारा उक्त दिवसों में अपीलांट के विरूद्ध की गई दर्ज लिखित शिकायत की प्रमाणित प्रति एवं उक्त शिकायतों पर उपखण्ड अधिकारी आबूपर्वत द्वारा की गई कार्यवाही की प्रमाणित प्रति से सम्बन्धित सूचना लोक सूचना अधिकारी से दिलाये जाने का निवेदन किया गया था। किन्तु निर्धारित समयावधि में उसे चाही गई सूचना उपलब्ध नही कराई गई है। मैने पत्रावली का अवलोकन किया गया तो पाया गया कि अपीलांट द्वारा निर्धारित शुल्क रूपये 10 जमा करा दिये है । अपीलांट द्वारा लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी आबूपर्वत को दिनॉक 13.07.2021 को एक प्रार्थना पत्र देकर निवेदन किया कि दिनांक 24.06.2020 एवं दिनांक 05.07.2021 को श्री हरिसिंह पुत्र श्री भगवानसिंह निवासी ओरिया आबूपर्वत द्वारा उक्त दिवसों में अपीलांट के विरूद्ध दर्ज की गई लिखित शिकायत की प्रमाणित प्रति एवं उक्त शिकायतों पर उपखण्ड अधिकारी आबूपर्वत द्वारा की गई कार्यवाही की प्रमाणित प्रति से सम्बन्धित सूचना उपलब्ध करवाई जावे। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी आबूपर्वत को आदेशित किया जाता है कि अपीलांट द्वारा चाही गई समस्त सूचना तत्काल नियमानुसार उपलब्ध करावें । यदि सूचना देना नियमों में संभव नही हो तो स्पेसीफिक आदेश पारित कर अपीलांट को सूचित करें । पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो। Signature Not Verified Digitally signed by Bhagwati Prasad Kalal Date: 2022.01.17 16:08:40 IST Reason: SelfAttested (भगवती प्रसाद) जिला कलक्टर, सिरोही	

Scanned with CamScanner